[2018] 1 एस.सी.आर. 626

अर्चित सैनी और अन्य

बनाम

ओरिएंटल इन्शुरन्स कं॰ लिमि॰ एवं अन्य

सिविल अपील सं. 7300-7309/2016

फरवरी 09, 2018

दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए.एम. खानविलकर और डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, जेजे।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: धारा 166-घातक दुर्घटना-अंशदायी लापरवाही-व्यस्त सड़क पर आक्रामक वाहन के साथ कार की टक्कर से चालक और एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए-ट्रिब्यूनल ने चश्मदीद गवाह के साक्ष्य पर भरोसा किया (पीडब्लू-7) कि आक्रामक वाहन, गैस टैंकर को बिना किसी संकेतक या पार्किंग की रोशनी के सड़क के बीच में खड़ा किया गया था और यह गैस टैंकर के चालक की ओर से एकमात्र लापरवाही थी-उच्च न्यायालय ने यह पाते हुए पंचाट को संशोधित किया कि यह अंशदायी लापरवाही का मामला था और इसलिए, दावेदार-घायल कुल मुआवजे के केवल 50% के हकदार थे अवधारित किया गया कि उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-7 के सबूतों को अविश्वसनीय होने के रूप में संदेह नहीं किया और न ही अपने संस्करण को खारिज कर दिया कि चालक सामने की ओर से आने वाले यातायात की फ्लैश लाइट के कारण कार खड़ी गैस टैंकर को स्पॉट नहीं कर सकी-साइट योजना ने इस खोज का समर्थन नहीं किया कि गैस टैंकर सड़क के बीच में पार्क नहीं किया गया था-तथ्य यह है कि पीडब्लू-7 जो सड़क के विपरीत दिशा में लगभग 70 फीट की दूरी पर खड़ा था, सड़क के दूसरी तरफ खड़े गैस टैंकर को देख सकता है कि उसके कथन को अस्वीकार करेगा कि विपरीत दिशा से आने वाली कार गैस टैंकर को सामने से आने वाले यातायात की फ्लैश रोशनी के कारण नहीं देख सकती है-यह विवाद में नहीं है कि सड़क एक व्यस्त सड़क है-उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण उपलब्ध सामग्री व तथ्य के आधार पर जो साक्ष्य से समर्थित था, ट्रिब्यूनल द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को उत्तर दिया गया था, को समर्थन प्राप्त नही होता है। रिकॉर्ड पर साक्ष्य, गणना नहीं की जा सकती है-अपीलकर्ता अंशदायी लापरवाही के प्रति किसी भी कटौती के बिना उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए बढ़े हुए मुआवजे के हकदार होंगे।

आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहा, यह अच्छी तरह से तय है कि दुर्घटना के दावों से संबंधित मामलों में आवश्यक प्रमाण की प्रकृति आपराधिक मामलो से गुणात्मक रूप से भिन्न है, जो किसी भी उचित संदेह से परे होना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने इससे पहले सबूतों के विश्लेषण में सही परीक्षण लागू किया। विशेष रूप से, उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-7 के साक्ष्य

को अविश्वसनीय होने के रूप में संदेह नहीं किया है और न ही यह उसके संस्करण को खारिज कर दिया है कि कार का चालक सामने की तरफ से आने वाले यातायात की फ्लैश लाइट के कारण पार्क किए गए गैस टैंकर को नहीं देख सका। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने गैस टैंकर के चालक के खिलाफ कानूनी उपधारणा किया की उसने सड़क के बीच में लापरवाही से अपना वाहन खड़ा किया। साइट प्लान पीडब्लू-7 के संस्करण को पुष्ट करता है कि ट्रक (गैस टैंकर) को सड़क के बीच में खड़ा किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने बिना किसी कारण बताए इसके विपरीत प्रेक्षण किया। चार्जशीट के साथ दायर साइट प्लान उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है कि गैस टैंकर सड़क के बीच में पार्क नहीं किया गया था। तथ्य यह है कि पीडब्लू-7 जो रोड के विपरीत तरफ खड़ा था लगभग 70 फीट की दूरी पर, सड़क के दूसरी तरफ खड़े गैस टैंकर को देख सकता है कि उसके संस्करण को अविश्वसनीय नहीं करता है कि विपरीत दिशा से आने वाली मारुति कार आने वाले ट्रैफिक की फ्लैश लाइट के कारण गैस टैंकर को चिन्हित नहीं कर सकी। यह विवाद में नहीं है कि सड़क एक व्यस्त सड़क है। क्रॉस-परीक्षा में, न तो पीडब्लू-7 के संस्करण को अविश्वसनीय करने का कोई प्रयास किया गया है और न ही कोई सुझाव दिया गया है कि फ्लैश लाइट के साथ कोई भी वाहन प्रासंगिक समय पर खड़ी गैस टैंकर की विपरीत दिशा में नहीं आ रहा था। ट्रिब्यूनल द्वारा भौतिक तथ्य पर दर्ज की गई अच्छी तरह से विचार की गई खोज को उलटने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, जिसे रिकॉर्ड पर साक्ष्य द्वारा समर्थित किया गया था, की गणना नहीं की जा सकती है। अपीलकर्ता अंशदायी लापरवाही के प्रति किसी भी कटौती के बिना उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए बढ़े हुए मुआवजे के हकदार होंगे। दावेदारों को दिये कुल मुआवजे की 50% की कटौती के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश, अंशदायी लापरवाही के लिए अपास्त किया जाता है। [पारस 8,9,10 और 11] [633-जीएच; 634-ए-जी; 635-सी-डी]

सिविल अपीलीय छेत्राधिकार सिविल अपील नं. 7300 -2016 का 7309/2016

एफएओ नं. में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 01.02.2016 के 1179,1180,1181,1182,1183,1318,1452,4596,4597 और 4598/2013

बिमलेश कुमार सिंह, सुश्री अंजलि शर्मा, सलाहकार- अपीलकर्ताओं के लिए।

सुश्री अमृता स्वरूप, सलाहकार- उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति **ए.एम. खानविलकर, जे.** द्वारा दिया गया था,

1. ये अपीलें 1 फरवरी, 2016 को पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ में एफएओ में दिए गए निर्णय और आदेश के अपवाद हैं। 2013 के एनओएस 17179,1180,1181,1182,1183,1318,1452,4596,4597 और 4598, जिसके तहत उच्च

न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, यमुना नगर, जगाधरी द्वारा पारित पुरस्कार को संशोधित किया, यह पाया गया कि यह "अंशदायी लापरवाही" का मामला था और इसके परिणामस्वरूप यह दावा किया गया कि दावेदार-घायल बढ़े हुए मुआवजे सहित उन्हें दिये गये कुल मुआवजे के 50% के हकदार थे ।

2. 2 वर्तमान अपीलों में उठाया गया एकमात्र प्रश्न ट्रिब्यूनल द्वारा इस तथ्य पर दर्ज तथ्य की खोज को उलटने में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के औचित्य और कार्यकाल के बारे में है कि मोटर दुर्घटना जो 15 दिसंबर, 2011 को लगभग 10.30 बजे रात्री मे हुई थी। वह सड़क के बीच में नंबरएचआर-02-एएफ-8590 (गैस टैंकर) वाले आक्रामक वाहन की पार्किंग के कारण लापरवाही से किया गया था।

3. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संक्षेप में, "ट्रिब्यूनल") के समक्ष दायर मुआवजे के लिए याचिका में, यह आरोप लगाया गया था कि दुर्घटना बिना किसी संकेतक या पार्किंग लाइट के सड़क के बीच में आक्रामक गैस टैंकर की पार्किंग के कारण हुई थी। दावेदार ने चश्मदीद गवाह सोहन लाल (पीडब्लू-7) की परीक्षा करायी, जिन्होंने अपने हलफनामे में निम्नलिखित शब्दों में दुर्घटना के कारण का विवरण दियाः

“दिनाँक 15.12.2011 को लगभग 10.30 बजे रात्रि मैं और मेरे साथ पीएच.जी. अजीत सिंह राष्ट्रीय राजमार्ग पर, (जो जम्मू की ओर जाता है) क्षेत्र में ग्राम अजीजपुर थाना सुजानपुर क्षेत्र मे चूल्हा ढाबा के पास मौजूद थे। उस समय सभी यातायात को सड़क के पूर्वी तरफ मोड़ दिया गया था, क्योंकि निर्माण कार्य के कारण सड़क का पश्चिमी भाग बंद था। इस बीच, एक मारुति कार नंबरएचआर-02-के 0448 जम्मू की तरफ (माधोपुर की तरफ) से आई और गैस के पीछे से टकरा गई कार के चालक पार्क किए गए टैंकर को नहीं देख सका, सामने की तरफ से आने वाले ट्रैफिक की फ्लैश-लाइट्स के कारण। फिर हम दुर्घटना स्थल की ओर दौड़े, और देखा कि उक्त टैंकर सड़क के बीच में बिना किसी संकेतक या पार्किंग लाइट के खड़ा था, जिसके कारण हुई दुर्घटना में कार बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गई। चालक कार और उसके बगल में बैठी एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दो बच्चे, जो कार की पिछली सीट पर थे, वे भी घायल हो गए।”

(जोर दिया गया)

4. उत्तरदाताओं द्वारा उक्त गवाह की जिरह की गई। उनकी जिरह का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

“.. हम अपनी मोटरसाइकिल के साथ ड्यूटी पर ढाबा पर खड़े थे। ट्रक सड़क के दूसरी तरफ ढाबे के ठीक सामने खड़ा था। मैं उस समय ट्रक को देख पा रहा था। उस समय कोहरा नहीं था। ढाबे पर रोशनी थी और ढाबे की रोशनी के कारण ट्रक मुझे दिखाई दे रहा था। मैं ट्रक से लगभग 70 फीट की दूरी पर खड़ा था क्योंकि मेरे और ट्रक के बीच सड़क थी। मैंने दुर्घटना के कारण

आवाज/आवाज सुनी है तभी मैंने देखा कि कार ट्रक से टकरा गयी। मैंने दुर्घटना से पहले कार नहीं देखी है , और केवल दुर्घटना के बाद देखा है। दुर्घटना की आवाज सुनकर मैं मौके पर पहुंचा। मैं कार की गति नहीं बता सकता क्योंकि मैंने कार नहीं देखी है। सड़क लगभग 88 फीट चौड़ी है यानी। बीच में एक डिवाइडर के साथ प्रत्येक तरफ 44 फीट। ट्रक का बायां हिस्सा कच्चे भाग की ओर सड़क के किनारे पर था।"

5. उत्तरदाताओं ने दावा याचिका का विरोध किया था और अपने दायित्व से इनकार किया था, लेकिन संबंधित तथ्य को दूर करने के लिए संबंधित मुद्दे पर कोई सबूत नहीं दिया। ट्रिब्यूनल ने सबूतों का विश्लेषण करने के बाद, गैस टैंकर के चालक के खिलाफ दायर चार्जशीट और उत्तरदाताओं के तर्कों के साथ रिकॉर्ड पर निर्मित साइट मैप (एक्सटीपी-45) सहित, निम्नलिखित में उत्तरदाताओं के खिलाफ वाद बिन्दु नंबर 1 का जवाब निम्न शब्दों में दिया-

"21. एक मामले में हमारे अपने माननीय उच्च न्यायालय ने लेखू को दिया सिंह और अन्य बनाम उदय सिंह और अन्य, (2007 4 पीएलआर 507 में अवधारित किया कि एक दावा याचिका पर विचार करते हुए, ट्रिब्यूनल से जांच करने कि अपेक्षा होती है और आपराधिक अदालत के रूप में कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या दावेदारों ने किसी भी उचित संदेह की छाया से परे घटना को स्थापित किया है। जांच में, अगर घटना के प्रथम दृष्टया सबूत हैं और ऐसे सबूतों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। आपराधिक अदालत में एफआईआर दर्ज करने और अभियुक्तों के मुकदमे के तथ्यों के साथ युग्मित बयान इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं कि दुर्घटना हुई है। इसी तरह, कुसुम लता बनाम। सतबीर, 2011 (2) आरसीआर ® 379 (एससी) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मोटर दुर्घटना के दावों से संबंधित एक मामले में, दावेदारों को मामले को करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि एक आपराधिक मुकदमे में किया जाना आवश्यक है। न्यायालय को मन मे यह विशिष्टता रखनी चाहिए एक विशेष तरीके से किसी विशेष बस के कारण होने वाली दुर्घटना का सख्त प्रमाण दावेदारों द्वारा किया जाना संभव नहीं हो सकता है। दावेदार केवल संभाव्यता के पूर्वसर्ग के टचस्टोन पर अपना मामला स्थापित कर सकते है। उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक लागू नहीं किया जा सकता था।

22 दोनों पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद, मुझे पता चलता है कि पीडब्लू 7 सोहन लाल की घटना के चश्मदीद गवाह ने विशेष रूप से अपने हलफनामे में कहा है। पीडब्लू 7/ए ने अपने साक्ष्य में कहा कि 15.12.2011 को लगभग 20.30 बजे। वह पीएचजी अजीत सिंह के साथ नेशनल हाई वे पर संजा चूल्हा ढाबा के पास मौजूद थे, जो जमा की ओर जाता है। निर्माण कार्य के कारण पश्चिमी तरफ सड़क बंद होने के कारण सड़क के सभी यातायात को सड़क के पूर्वी तरफ मोड़ दिया गया था। इस बीच नंबर एचआर-02-के-0448 वाली मारुति कार जम्मू की तरफ से आई और गैस टैंकर के पीछे से टकरा गई क्योंकि कार का चालक सामने की तरफ से आने वाले ट्रैफिक की फ्लैश लाइट के कारण पार्क किए गए टैंकर को नहीं देख सका।

फिर वे दुर्घटना स्थल की ओर दौड़े और देखा कि उक्त टैंकर बिना किसी संकेतक या पार्किंग लाइट के सड़क के बीच में खड़ा था।

23. इस गवाह का बयान स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि यह गैस टैंकर के चालक की ओर से एकमात्र लापरवाही थी, खासकर जब दुर्घटना 15.12.2011 को हुई थी, वह भी लगभग 10.30 बजे रात्रि के समय। जो आमतौर पर घोर अंधेरे का समय होता है। इस तरह, इस दुर्घटना में कार के चालक को किसी भी तरह से लापरवाही नहीं मानी जा सकती है। इसके अलावा, सड़क विनियम, 1989 के नियम 15 के अनुसार, किसी भी वाहन को व्यस्त सड़क पर पार्क नहीं किया जाना है।

24. उत्तरदाता विद्वान वकील ने तर्क रखा कि पीडब्लू 7 सोहन लाल ने अपनी जिरह में कहा है कि उस समय कोहरा नहीं था और ढाबा पर रोशनी थी और ढाबा की रोशनी के कारण ट्रक उसे दिखाई दे रहा था और वह खड़ा था उनके और ट्रक के बीच सड़क होने वाले ट्रक से 70 फीट की दूरी पर और उन्होंने कार देखा। उन्होंने दुर्घटना के कारण आवाज/आवाज सुनी तो उत्तरदाता सं- 1 इस दुर्घटना में बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है, लेकिन ये प्रस्तुतियाँ कार चालक को किसी भी तरह से लापरवाह बनाने के लिए नहीं होंगी। और गैस टैंकर के चालक को क्लीन चिट नहीं दे सकता है क्योंकि उस स्थान से खड़े वाहन की दृश्यता के बीच अंतर है जहां व्यक्ति खड़ा है और एक व्यक्ति जो ड्राइविंग कर रहा है वाहन क्योंकि सामने की तरफ से आने वाले वाहनों की फ्लैश लाइट के कारण विपरीत तरफ से आने वाला वाहन आम तौर पर सड़क पर खड़े वाहन को स्पॉट नहीं कर सकता है, वह भी रात के समय जब न तो कोई संकेतक या पार्किंग रोशनी हो और न ही टिमटिमाने वाली रोशनी और न ही तैनात वाहन के पीछे कोई अन्य संकेत दिया गया है, इसलिए, कार के चालक को किसी भी तरह से लापरवाही बरतने के लिए नहीं रखा जा सकता है, बल्कि यह आक्रामक गैस के चालक की ओर से एकमात्र लापरवाही है गिन्नी देवी और अन्य के मामले (2008 एसीजे 1572), मोहन लाल के मामले (2007 1 एसीसी 785 (इलाहाबाद)। यह उत्तरदाता का मामला नहीं है कि खड़े ट्रक की पार्किंग की रोशनी चालू थी या पीछे कोई अन्य संकेत था, आने वाले वाहन को खड़े ट्रक को देखने में सक्षम बनाने के लिए सड़क पर खड़े वाहन का प्रतिवादी नंबर 3 के लिए विद्वान वकील के अन्य तर्क कि सड़क पर्याप्त चौड़ी सड़क थी और कार चालक दुर्घटना से बच सकता था, इसलिए कार के चालक ने खुद को लापरवाही बरतने के कारण दुर्घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब यह पहले से ही आयोजित किया गया है कि दुर्घटना व्यस्त सड़क में तैनात ट्रक के चालक की एकमात्र लापरवाही के कारण हुई है।

श्रीमती हरबंस कौर और अन्य का मामला (2010 4 पीएलआर 422 (पी एंड एच) और टी. एम. चायपति और एक अन्य का मामला (2005 चतुर्थ एसीसी 61 (एपी) बिल्कुल भी विवादित नहीं है, लेकिन ये वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होने वाले उत्तरदाताओं के लिए सहायक नहीं हैं। इसी तरह, 14 और 9 वर्ष के उम्र के नाबालिग बच्चों की गैर-परीक्षा

जो दुर्घटना में अपने पिता और माता को खो चुके हैं, उन्हें किसी भी तरह से दावेदारों के

मामले के लिए हानिकारक नहीं ठहराया जा सकता है जब घटना के चश्मदीद गवाह ने साबित कर दिया है कि दुर्घटना उत्तरदाता नंबर 1 आक्रामक वाहन चालक की लापरवाही के कारण हुई है।

25 इसके अलावा, गिरधारी लाल बनाम राधेश्याम और अन्य, 1993 (2) पीएलआर 109, सुदामा देवी और अन्य बनाम केवल राम और अन्य, 2008 (1) पीएलआर 444 और पझनियामल और अन्य के मामले (2012 एसीजे 1370) हमारे अपने माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि "यह दावा करने के मामलों में निष्कर्ष निकालने के लिए सुरक्षित है कि दुर्घटना चालक की लापरवाही या लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई है, अगर चालक को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है।

26. इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 1 दुर्घटना होने से इनकार करने के लिए आक्रामक वाहन चालक गवाह बॉक्स में दिखाई नहीं दिया है, इसलिए, मैं उत्तरदाता नंबर 1 के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए इच्छुक हूं। इस संदर्भ में, मैं माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक फैसले का समर्थन करता हूं, जिसमें भगवती देवी बनाम कृष्ण कुमार सानी और अन्य, 1986 एसीजे 331 के रूप में रिपोर्ट की गई थी। इसके अलावा, उत्तरदाता नंबर 1 ने भी आपराधिक मामले में अपने झूठे निहितार्थ के बारे में उच्च अधिकारियों को कोई शिकायत दर्ज नहीं की है इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तरदाता नंबर 1 को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

27 उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह माना जाता है कि दावेदारों ने यह साबित कर दिया है कि दुर्घटना वाहन नं. एचआर-02-एएफ-8590 सड़क के बीच में लापरवाही से खड़े करने पर हुई थी जिसमें विनोद सैनी और श्रीमती ममता सैनी की मृत्यु हो गई है और दावेदारों अर्चित सैनी और गौरी सैनी को उनके शरीर पर चोटें आई हैं। विनोद सैनी मृतक जो कार चला रहा था उस दिन की कार को किसी भी तरह से लापरवाही बरतने के लिए नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार, यह मुद्दा दावेदारों के पक्ष में तय किया गया है।"

(जोर दिया आपूर्ति)

6. जब मुआवजे बढ़ाने के लिए अपील उच्च न्यायलय मे कि गयी हो ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज तथ्य की खोज को पलट दिया और कहा कि यह मारुति कार के चालक की अंशदायी लापरवाही का मामला था जो दुर्घटना के समय कार चालक था। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उक्त मुद्दे का जवाब दिया जैसा कि समझा जा सकता है अनुच्छेद 14 और 15, जो इस प्रकार पढ़ते हैंः "14 जहां तक अंशदायी लापरवाही के मुद्दे का सवाल है, यह पीडब्लू-7 के सोहन लाल की गवाही में आया है कि टैंकर/ आक्रामक वाहन को बिना संकेतक के पार्क किया गया था, लेकिन वही 70 फीट की दूरी से दिखाई दे रहा था। इसके अलावा, साइट प्लान एक्सपी 45 के एक खंडन से पता चलता है कि आक्रामक वाहन सड़क के बीच में पार्क नहीं किया गया था। 15 पीडब्लू-7 और साइट प्लान एक्सपी-45 के बयान के मद्देनजर, यह साबित होता है कि टैंकर/आक्रामक वाहन 70 फीट

कि दूरी से दृश्यमान था और सड़क के बीच में पार्क नहीं किया गया था। इसलिए, इस न्यायालय की संबंधित राय में, यह अंशदायी लापरवाही का मामला है। "

7. वर्तमान अपीलों में, विवादित प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं के खिलाफ उत्तर दिए गए मुद्दे नंबर 1 पर ट्रिब्यूनल के सुविचारित निर्णय को उलटने में प्रकट त्रुटि की है, इसके बजाय यह निष्कर्ष निकाला कि यह 50% मारुति कार मृतक चालक की अंशदायी लापरवाही का मामला था।

8. पीडब्लू-7, द्वारा प्रस्तुत बयानों तथा साइट मैप और ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए विस्तृत विश्लेषण, हमें यह विचार करने में कोई संकोच नहीं है कि ट्रिब्यूनल द्वारा वादबिन्दु नंबर 1 पर आए निष्कर्ष को उलटने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण बहुत आकस्मिक है, यदि नहीं गुप्त और विकृत। वास्तव में, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील तथ्य और कानून पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, उच्च न्यायालय को ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज तथ्य की निष्कर्ष को लापरवाही से पलटने की अनुमति नहीं होगी।

जैसा कि ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए विश्लेषण से स्पष्ट है, यह एक अच्छी तरह से माना गया राय और एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है। उच्च न्यायालय ने किसी विशेष कारण को वर्जित नहीं किया है कि ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत था या रिकॉर्ड पर साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था। यह अच्छी तरह से तय है कि दुर्घटना के दावों से संबंधित मामलों में आवश्यक प्रमाण की प्रकृति आपराधिक मामलों में एक से गुणात्मक रूप से भिन्न है, जो किसी भी उचित संदेह से परे होना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने सबूतो का सही ढंग से विश्लेषण किया है। उच्च न्यायलय ने

पीडब्लू-7 के सबूतों को अविश्वसनीय होने के रूप में संदेह नहीं किया है और न ही यह उसके संस्करण को खारिज कर दिया है कि मारुति कार का चालक सामने की तरफ से आने वाले यातायात की फ्लैश लाइट के कारण खड़ी गैस टैंकर को नहीं देख सका। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने गैस टैंकर के चालक के खिलाफ सड़क के बीच में लापरवाही से अपने वाहन को पार्क करने के लिए कानूनी उपधारणा। साइट प्लान (एक्सट। पी-45) पीडब्लू-7 के संस्करण को पुष्ट करता है कि ट्रक (गैस टैंकर) सड़क के बीच में पार्क किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने बिना किसी कारण बताए इसके विपरीत निष्कर्ष दिया है। हमारे विचार में, साइट प्लान (एक्सट. पी-45) चार्जशीट के साथ दायर उच्च न्यायालय द्वारा निकले गए निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है कि गैस टैंकर सड़क के बीच में पार्क नहीं किया गया था। विशेष रूप से, उच्च न्यायालय ने भी दावेदार की याचिका पर संदेह नहीं किया है कि गैस टैंकर/आक्रामक वाहन को बिना किसी संकेतक या पार्किंग लाइट के पार्क किया गया था। तथ्य यह है कि पीडब्लू-7 जो खड़ा था लगभग 70 फीट की दूरी पर सड़क के विपरीत दिशा में, सड़क के दूसरी तरफ खड़े गैस टैंकर को देखा जा सकता है कि उसके संस्करण को अविश्वसनीय नहीं करता है कि विपरीत दिशा से आने वाली मारुति कार फ्लैश के कारण गैस टैंकर को स्पॉट नहीं कर सकी। सामने की तरफ से आने वाले ट्रैफिक की

लाइट्स। यह विवाद में नहीं है कि सड़क एक व्यस्त सड़क है। क्रॉस-परीक्षा में, न तो पीडब्लू-7 के संस्करण को अविश्वसनीय करने का कोई प्रयास किया गया है और न ही कोई सुझाव दिया गया है कि कोई वाहन प्रासंगिक समय पर खड़ी गैस टैंकर की विपरीत दिशा से फ्लैश लाइट्स के साथ नहीं आ रही थीं।

9. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि ट्रिब्यूनल द्वारा भौतिक तथ्य पर अच्छी तरह से विचार किए गए निष्कर्ष, जिसे रिकॉर्ड पर साक्ष्य द्वारा समर्थित किया गया था, उसके विरूद्ध उच्च न्यायलय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित नही पाया जाता है।

10. तदनुसार, हमें उच्च न्यायालय की उक्त निष्कर्ष को अपास्त करने में कोई संकोच नहीं है। नतीजतन, अपीलकर्ता अंशदायी लापरवाही के प्रति किसी भी कटौती के बिना उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए बढ़े हुए मुआवजे के हकदार होंगे। दूसरे शब्दों में, हम उत्तरदाताओं के खिलाफ वादबिन्दु सं 1 पर दिए गए ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष को बहाल करते हैं और उस वादबिन्दु सं 1 को लापरवाही से बिना किसी संकेत या पार्किंग लाइट के सड़क के बीच में गैस टैंकर/आक्रामक वाहन खड़ा करने का दायी पाते है।

11. तदनुसार, हम उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्णय के पैरा 13 में निर्धारित दावेदारों को देय बढ़े हुए मुआवजे की पुष्टि करते हैं, जो इस प्रकार हैः

“13 उपरोक्त के मद्देनजर, दावेदार-घायल को रू॰ 2,80,000/- [रु. 30,000/- ('दर्द और पीड़ा' की ओर वृद्धि) + रु. 20,000/- (वृद्धि) के बढ़े हुए मुआवजे के हकदार हैं। अध्ययन के नुकसान के लिए) + रु। 10,000/- (विशेष आहार हेतु वृद्धि) + 1,90,000/- ('प्यार और स्नेह की हानि' की ओर वृद्धि) + रु. 30,000/- (दाह संस्कार और अंतिम संस्कार की ओर वृद्धि)] जैसा कि ऊपर बताया गया है, जो उस निर्णय की प्रमाणित प्रति उक्त अवधि मे अदा न करने पर तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर देय होगा। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति, जिसे विफल करते हुए, दावेदार-अपीलकर्ता भी वर्तमान अपील दायर करने की तारीख से लेकर इसकी प्राप्ति तक प्रति वर्ष @7.5% ब्याज के हकदार होंगे।” हमने पैराग्राफ 16 में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को अपास्त किया है जिसमे उच्च न्यायलय द्वारा अंशदायी लापरवाही के लिए दावेदारों को मुआवजा 50% दिये जाने का आदेश दिया गया।

12. उपरोक्त शर्तों में अपील स्वीक्रत कि गयी। राद व्यय के लिए कोई आदेश नहीं किया गया।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार कि गयी।

देविका गुजराल

Jai Shankar Mishra